

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2025/237

मुकदमा नम्बर 66/2025

दर्ज दिनांक-14.05.2025

अनिता जाट पत्नी आशीष कुमार कालेर जाति जाट निवासी ग्राम सोटवारा तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू हाल
निवासी इंदिरा नगर झुझुनू, जिला झुझुनू

बनाम

भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू

वकील आवेदक :- श्री महेश कुमार वर्मा

अनावेदक :- पैरो. राज.

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 01.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम सोटवारा की सरहद में स्थित खसरा नं. 1004/17 पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 के मुताबिक पत्थरगढी कायम की जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर/एतराज व्यक्त नहीं किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकूलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रा. पत्र के साथ दिनांक 31.05.2025 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार की गई, जिस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम सोटवारा की सरहद में स्थित खसरा नं. 1004/17 पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 के अनुसार सीमावर्ती खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी कायम कर दी जावे।

यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 01/07/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू